वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 का कार्यवृत्त

डॉ0 यू0एस0रावत, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न 15वीं वित्त समिति की बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष में दिनांक 05.12.2017 दिन मंगलवार समय पूर्वान्ह 12 बजे से आयोजित/सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही है :–

01	डॉ0 यू0एस0रावत, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री महेश कौशिवा, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
03	श्री वेदीराम, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव ,तकनीकी शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	श्री एम0एम0 सेमवाल, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
05	श्री0 वी0पी0सिंह, संयुक्त सचिव, (वित्त) प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग ,उत्तराखण्ड शासन ।	सदस्य
06	श्री जयपाल सिंह तोमर, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	संयोजक/सदस्य
07	डॉ0 अनीता रावत, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य

उक्त के अलावा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, निदेशक, आई0आई0टी0,रूड़की एवं कुलपति गो0ब0पंत, कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कतिपय कारण वश बैठक में प्रतिभाग नही किया गया। इस क्रम में मा0 सदस्यों द्वारा उक्त बैठक का एजेण्डा एक दिन पूर्व उपलब्ध होने पर आपत्ति प्रकट की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि भविष्य में बैठक से एक सप्ताह पूर्व बैठक का एजेण्डा उपलब्ध करा दिया जाय जिस पर मा0कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

सर्वप्रथम मा0कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित मा0 सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तत्पश्वात बैठक आरम्भ की गई तथा एजेण्डा बिन्दुवार निम्न लिखित निर्णय लिये गये। वित्त समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु–01 पर विगत बैठक दिनांक 10.11.2016 को अयोजित/सम्पन्न वित्त समिति की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा यह अपेक्षा की गयी की बिन्दु संख्या 09,10 पर शासन को पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें।

जेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	विनिश्चिय
बिन्दु–02	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय तथा संघटक संस्थानों का वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ–	**वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्यय अनुमान** **अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–** 1–उ0त0वि0 की अनु0 आय : **रु0 42.24 करोड़** उ0त0वि0 की अनु0व्यय : **रु0 35.45 करोड़** 2–सं0 संस्थानो की अनु0 आय : **रु0 12.06 करोड़** सं0 संस्थानो का अनु0 व्यय : **रु0 11.72 करोड**	01. वित्त समिति वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित आय– व्यय पर नियमानुसार प्रावधान किये जाने की संस्तुति करती है। 02. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियमित मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को 07वें आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिय जा रहे वेतन के सम्बन्ध में शासन से नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने की समिति संस्तुति प्रदान करती है।
बिन्दु–03	यू0टी0यू0 तथा संघटक संस्थानों का वित्तीय वर्ष 2016–17 का अन्तिम आधिक्य एवं बचत विवरण अनुमोदनार्थ–	**अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**	प्रस्तावित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 का अधिक व्यय एवं बचत विवरण उच्च समिति के सम्मुख रखते हुए नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई।
बिन्दु–04	वित्त विभाग, उ0शासन द्वारा जारी पत्रांक 142(1)/XXVII(7)/विविध/2016 दिनांक 16.08.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत्त समस्त आउटसोर्स कार्मिकों को 12वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.11.2012 के निर्णय संख्या 13 के दृष्टिगत जनवरी, 2014 से उपनल के माध्यम से कार्यरत्त इन कार्मिकों को देय संकलित मानदेय यथावत् ही अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव– **तथा** शासनादेश संख्या 791/XVII-5/16-09(17)/2004/TC-1दिनांक22.07.2016 द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृति तिथि से अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव –	1–विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में कार्यो के सूचारू सम्पादन हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा 09 कर्मचारी सीधे संविदा पर नियुक्त किये गये थे। (06 डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर,/01 वाहन चालक/02 अनुसेवक) 2–उक्त कार्मिको को अप्रैल, 2006 से माह फरवरी 2008 तक निरन्तर विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिमाह नियत मानदेय का भुगतान किया जाता रहा। 3– प्रथम वित्त समिति दिनांक 23.10.2007 के एजेण्डा बिन्दु 03 के अनुसार उक्त 09 संविदा कार्मिकों को संविदा से हटाकर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर मार्च 2008 से दिसम्बर, 2013 तक मानदेय भुगतान किया गया। इस अवधि में कर्मचारियों को मै0 समर्पित सुरक्षाप्रा0लि0 देहरादूनएवं मै0 प्रोवीज मैन सिस्टम के माध्यम से03–03 वर्षो हेतु नियुक्त किया गया तथा समय–समय पर अन्य नियुक्त कार्मिक भी इन्हीं	**प्रस्ताव संख्या–04 पर समिति द्वारा विचारोपरांत निम्न संस्तुति प्रदान की गई :–** 01. पूर्व में शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदो के सापेक्ष उपनल से प्रायोजित आउटसोर्स के रूप में व्यक्तियों से ली जा रही सेवाओं के परिपेक्ष्य में मानदेय एवं पारिश्रमिक भुगतान का आहरंण शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार/मानकों के आधार पर आउटसोर्स संस्था को किया जाय। 02. पूर्व में उपनल के व्यक्तियों को दिए गये अधिक मानदेय को आउटसोर्स संस्था से पत्राचार कर समायोजन किऐ जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाय। 03. उपनल से प्रायोजित कर्मियों को देय मानदेय के सम्बन्ध में वित्त विभाग

		फर्मो के माध्यम से नियुक्त किये जाते रहे। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों के मानदेय में समय–समय पर वृद्धि की गयी । अन्तिम वृद्धि की स्वीकृति वित्त समिति की 12वीं बैठक दिनांक 19.11.2012 के एजेण्डा बिन्दु 13 में प्रदत्त है। 4–उक्त आउटसोर्स फर्मो की निविदा अनुबन्ध समाप्त हो जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा एक कमेटी गठित करपूर्व स्वीकृत वेतन/मानदेय पर ही कार्यालय आदेश पत्रांक 19839ए/यू0टी0यू0/14 दिनांक 03.03.2014 द्वारा उपनल के साथ निष्पादित एम0ओ0यू0 अनुसार जनवरी, 2014 से समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को उपनल के माध्यम से नियुक्त कर पूर्व वेतन/मानदेय का भुगतान माह सितम्बर, 2017 तक लगातार किया जाता रहा है। 5– वर्तमान में उपनल द्वारा पदो के सापेक्ष नियत मानदेय एवं सितम्बर 2017 में कार्मिको को मानदेय/वेतन भुगतान का विवरण संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 142(1)/XXVII(7)/विविध/2016 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा उपनल कार्मिकों का वेतन/मानदेय मानकों के अनुसार भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय/कर्मचारी हित को देखते हुये लम्बी कार्यअवधि उपरांत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में कमी किया जानान्यायोचितप्रतीत नहीं होता है। साथ ही अवगत कराना हैं कि उपनल कार्मिको द्वारा माह सितम्बर 2017 में भुगतान किये गये मानदेय के अनुसार ही मानदेय/वेतन दिये जाने तथा उपनल कार्मिको को अनुमन्य त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की मांग की जा रही है। अतः विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से	**शासनादेश दिनांक 16.08.2017 के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाय।**